अधिसूचना संख्या द.पू.म.रे./का.मु/क./379/पार्ट-VI/2023-24/1268 दिनांक 20.07.2023

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय कार्यालय परिसर मे स्थित कैंटीन (क्षेत्रीय कर्मचारी हित निधि समिति द्वारा संचालित) संचालन के लिए निविदा फॉर्म आमंत्रित किया जाता है ।

1. निविदा प्रपत्र दिनांक 14.08.2023 से 18.08.2023 तक कार्य दिवस में कार्यालयीन समय 11.00 बजे से 16.00 बजे तक मुख्य कार्यालय अधीक्षक,कल्याण अनुभाग, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी कार्यालय, प्रथम तल से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र एवं शर्तें द.पू.म.रेलवे के वेबसाइट **http://www.secr.indianrailways.gov.in** पर भी उपलब्ध रहेगा।

   (Home page-About us-Department-Personnel-Welfare Activities.)
2. निविदा प्रपत्र दिनांक 16.08.2023 से 18.08.2023 तक कार्य दिवस में कार्यालयीन समय 11.00 बजे से 16.00 बजे तक मुख्य कार्यालय अधीक्षक,कल्याण अनुभाग,प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी कार्यालय, प्रथम तल में जमा किया जा सकता है।
3. दिनांक 18.08.2023 (16.00 बजे) के बाद प्राप्त निविदा प्रपत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. प्राप्त निविदा प्रपत्र दिनांक18.08.2023 (16:30 बजे) उपरवर्णित कार्यालय में खोले जाएगे ।

20/7/23
सचिव
द.पू.म.रेलवे क्षेत्रीय कर्मचारी हित निधि (मुख्यालय) एवं
उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (मा.सं.वि.)
वास्ते, क्षेत्रीय कर्मचारी हित निधि (मुख्यालय)
द.पू.म.रेलवे/बिलासपुर

<u>निविदा अनुसूची एवं विशेष शर्ते</u>

कार्य का नाम :- दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय कार्यालय परिसर मे स्थित स्टाफ कैंटीन (क्षेत्रीय कर्मचारी हित निधि समिति द्वारा संचालित) संचालन के लिए निविदा ।

<u>अधिसूचना संख्या द.पू.म.रे./का.मु/क./379/पार्ट-VI/2023-24/1268 दिनांक 20.07.2023</u>

अमानती राशि (अर्नेस्ट मनी):-10,000/- (दस हजार मात्र)

क्रमांक	कार्य का विवरण	मानक दर	गुणक दर की विधि	प्रस्तावित दर अंको एवं शब्दो मे स्पष्ट रूप से अंकित की जावे
1	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय कार्यालय, बिलासपुर परिसर मे स्थित स्टाफ कैंटीन संचालित करना	मानक दर हेतु विभागीय सूची संलग्न है ।	संलग्न किये गए मानक दर सूची के सापेक्ष दर ज्यादा या कम	

नोट :-

1. निविदाकर्ता को चाहिए कि केवल इस शीट के निर्धारित स्थान पर ही प्रत्येक वस्तु के लिए एकल दर का उल्लेख करें । एकल दर पूर्णांक में होना चा हिए । 50 (पचास) पैसे तथा ऊपर के गुणक को अगले पूर्ण रूपये में दर्शाया जाए तथा इससे नीचे के गुणक को पिछले पूर्ण रुपये में दर्शाया जाए ।
2. निविदा के लिए दरों का उल्लेख अंको तथा शब्दो दोनों में लिखा जाए । किसी विसंगति के मामले में शब्दो में उल्लेखित दर को प्रस्तावित दर के रूप में स्वीकार किया जायेगा ।
3. प्रस्तावित दर में संशोधन वर्जित है इसमे किसी प्रकार की काट-छाँट न की जावे , अपरिहार्य परिस्थिति में की गई त्रुटि संशोधित रूप मे पुनः दर्शायी जा सकती है, जिसे हस्ताक्षर कर सत्यापन किया जाना अनिवार्य होगा ।

फोटो

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर
आवेदन पत्र का प्रारूप

क्र.	विषय वस्तु	विवरण
1	नाम	
2	पिता का नाम	
3	पत्र व्यवहार का पता	
4	वर्तमान मे व्यवसाय	
5	शैक्षणिक योग्यता **(प्रमाण पत्र की स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करें)**	
6	कैंटीन संचालन हेतु कार्य अनुभव का विवरण (**प्रमाण पत्र की स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करें**)	
7	यदि पूर्व मे रेलवे में कार्य किया हो तो उसका विवरण दें कि कहाँ पर कार्य किया है । **(प्रमाण पत्र की स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करें**)	
8	निविदा पत्र के साथ अमानती राशि (Earnest Money) **रुपए 10,000/- (दस हजार) मात्र धनादेश (Demand Draft) के रुप मे** (उसका विवरण दे) जैसे जारी कर्ता बैंक का नाम ,दिनांक एवं क्रमांक	
9	कोई आपराधिक प्रकरण लंबित / विचारधीन तो नहीं, यदि है तो उसका विवरण दें	
10	पैन नंबर(छाया प्रति संलग्न करें)	
11	मोबाईल नंबर	
12	आधार नंबर (स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करें)	
13	खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम -2006 के तहत पंजीकरण का विवरण : जारीकर्ता एवं तारीख : वैधता की तारीख : **(प्रमाण पत्र की स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करें**)	
	मै समिति द्वारा सूचीबद्ध मदों की मूल्य सूची / प्रस्तावित दर संलग्न कर रहा हूँ ।	

दिनांक:
स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर :
नाम :
मोबाईल नंबर:

गवाह के हस्ताक्षर

नाम व पता
मोबाईल नंबर
आधार नंबर

वर्तमान स्वीकृत मूल्य सूची

क्रमांक	सामाग्री	खाद्य सामाग्री का अनुपात	वर्तमान दर (रुपए में) **समस्त कर सहित**	ठेकेदार द्वारा निर्धारित दर **समस्त कर सहित**
1	थाली (एक दाम)		34.00	
i	चावल (सुपर फ़ाइन रॉ चावल)	100 gms		
ii	रोटी /पराठा	4 piece (100 gms)		
iii	दाल (अरहर/मूंग)	100 gms		
iv	सब्जी दो प्रकार (एक फ्राइड सब्जी)	50 gms Each		
v	अचार	1 piece (15 gms)		
vi	सलाद	50 gms		
vii	पापड़	01 नग		
2	अंडा करी	01 piece	10.00	
3	मसाला दोसा (चटनी एवं सांबर के साथ)	01 No	15.00	
4	सदा दोसा (चटनी एवं सांबर)	01No	08.00	
5	मसाला उपमा (चटनी) / पोहा (चना)	150 gms	08.00	
6	इडली (03 Nos)	01No (75 gms)/ 01 plate (03 Nos)	08.00	
7	सांबर बड़ा (2 Nos)/ दही बड़ा (02 Nos)	100 gms (Wt. of Vada)	13.00	
8	मुंगोड़ों/पकोड़ा	100 gms	09.00	
9	पूड़ी सब्जी (05Nos -120 gms) / पराठा सब्जी (02 Nos-100 gms)		13.00	
10	मिक्चर/सलोनी	100 gms	07.00	
11	कटलेट/समोसा/आलूगुंडा	02 pieces (50 gms each)	10.00	
12	ऑमलेट	Single egg omlet (100gms)	10.00	
13	बालू शाही(एक नग)	100 gms	04.00	
14	लड्डू (एक नग)	50 gms	04.00	
15	गुलाब जामुन/रसगुल्ला/काला जामुन (एक नग)	30gms	05.00	
16	चाय	75 ml	05.00	
17	उड़द बड़ा चटनी के साथ	Two piece (100 gms)	07.00	
18	कॉफी	75 ml	08.00	
19	लस्सी,दही,छाछ (ब्राण्डेड सांची मदर डेरी इत्यादि) कोल्ड ड्रिंक , बिस्किट एवं अन्य खाद्य सामाग्री	प्रिंट मूल्य के आधार पर		

कैंटीन संचालन हेतु नियमावली/शर्तें

1. कैंटीन का संचालन लगभग 1100 (ग्यारह सौ) कर्मचारियों / आगंतुकों के लिए होगा ।
2. कैंटीन हमेशा साफ सुथरी होनी चाहिए और वेटर साफ-सुथरे परिधान में होना चाहिए एवं कैंटीन के फ्लोर किचन,वॉशिंग एरिया, खिड़की दरवाजे , वॉटर कूलर तथा समस्त फ़र्निचर/ सामान एवं प्रसाधन सभी स्थान साफ-सुथरे स्थिति में होनी चाहिये । वर्तमान संक्रमण काल को देखते हुए विशेष सावधानी अपेक्षित है ।
3. ठेकेदार को समिति की तरफ से केवल निर्मित सुविधाएं जैसे फर्नीचर, रसोई के बड़े बर्तन, फ्रीज, हॉट-केस, ग्राईंडर / मिक्सर, ट्राली आदि प्रदान की जाएगी ।
4. बिजली का बिल, पानी का बिल एवं कैंटीन की लाइसेंस फीस रेल नियमों के तहत देय होगा । ठेकेदार द्वारा पानी व बिजली के बिल का भुगतान प्रशासन द्वारा निर्धारित समय के अंदर करना होगा ।
5. ठेकेदार द्वारा कैंटीन संचालन का कार्यकाल कार्यान्वयन की तिथि से दो साल के लिए होगा । ठेका कार्यकाल समाप्त होने पर प्रशासन द्वारा अगर नया ठेका प्रक्रिया में समय / विलंब होता हैं, ऐसी स्थिति में कैंटीन संचालन हेतु प्रशासन का निर्णय आपको सूचित किया जायेगा।
6. कैंटीन संचालन में खाने पीने की दरें एवं मात्रा समिति द्वारा निर्धारित हैं । कैंटीन में बेचे जाने वाली हर खाद्य सामग्री उत्कृष्ट गुणवत्ता की जांच (कच्चे माल से लेकर कोई भी खाद्य सामग्री तक) संचालन समिति / मुख्य कार्मिक अधिकारी (औ.सं.)/ मुख्य कार्मिक अधिकारी (प्रशासन) द्वारा प्रस्तावित करेगी । किसी भी प्रकार की अनियमितता / अनुशासनहीनता अगर समिति द्वारा उजागर की जाती है, तो ठेकेदार के द्वारा तत्काल सुधार किया जाना अपेक्षित होगा अन्यथा समिति द्वारा यथोचित पेनाल्टी वसूल की जायेगी । ठेकेदार द्वारा किसी भी अनुदेश की अवहेलना पर, विशेषतः खाद्य पदार्थों की उत्कृष्टता / गुणवत्ता पर ध्यान न देने पर, समिति द्वारा किसी भी समय ठेका निरस्त करने का अधिकार होगा एवं धरोहर राशि जब्त की जा सकती है ।
7. कैंटीन में बनने वाली खाद्य सामग्री का मीनू, समिति द्वारा निर्धारित किया गया हैं । खाद्य सामाग्री ज्यादा मसालेदार, मिर्च युक्त नहीं होना चाहिए । वेज करी, ड्राई पीनट्स, गुलाबी चना, सोयाबीन बड़ी, न्यूटीला का उपयोग कम से कम होना चाहिए । मिर्च मसाला नमक तेल इत्यादि उच्च गुणवत्ता का उपयोग मेँ लाया जाए । ग्राहकों के लिए अलग से टेबल पर आचार , हरी मिर्च, नमक इत्यादि रखना होगा।
8. ताजा भोजन हर दिन उपलब्ध होना चाहिए । बासी खाना का उपयोग करने पर नियमानुसार दंड दिया जायेगा।
9. कैंटीन संचालन हेतु प्राइवेट **<u>ठेकेदार को कम से कम दो वर्षो का अनुभव अवश्य होना चाहिए</u>** ।
10. **<u>निविदा पत्र के साथ अमानती राशि (Earnest Money) रुपए 10,000/- (दस हजार) मात्र धनादेश (Demand Draft) के रुप मे सचिव, केन्द्रीय कर्मचारी लाभ निधि ,दक्षिण पूर्व मध्य</u>**

<u>रेलवे,बिलासपुर के नाम देय होगा।</u> जिसे निरस्त /अमान्य आवेदकों को निविदा प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात वापस किया जायेगा ।

11. ठेकेदार को कैंटीन की साफ-सफाई, बैठने की व्यवस्था, खाने-पीने की वस्तुओं की मात्रा व गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना होगा ।

12. चयन किये गए आवेदक को कैंटीन संचालन हेतु धरोहर राशि (सुरक्षा राशि) रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) मात्र सचिव, ज़ोनल कर्मचारी हित निधि, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के बैंक खाते में जमा करानी होगी । जिसका बैंक खाता क्रमांक 1698997320 बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा रेलवे एरिया, IFSC कोड CBINO283932, MICR कोड 495016004 हैं, जिसकी मूल पावती प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी कार्यालय के कल्याण अनुभाग में जमा करना होगा।

13. किसी प्रावधान के अनुपालन पूर्ण न कर पाने की स्थिति में ठेके के करार को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्रीय कर्मचारी हित निधि समिति के अध्यक्ष एवं प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी / मुख्य कार्मिक अधिकारी (औ.सं)/ मुख्य कार्मिक अधिकारी (प्रशासन) अथवा समिति के सचिव एवं उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (मा.सं.वि.) को प्रत्येक अवसर पर रू. 1000/- (एक हजार रू.) तक का अर्थदंड ठेकेदार पर अधिरोपित करने / लगाने का अधिकार होगा और इस प्रकार का अर्थदंड जब कभी भी ठेकेदार को लगाया जायेगा तो उसे उस राशि का भुगतान करना होगा।

14. कैंटीन में मद्यपान व धूम्रपान वर्जित होगा। यदि कोई व्यक्ति कैंटीन में मादक पदार्थों का सेवन करता हुआ पाया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी और यदि ऐसा पाया जाता है तो ठेकेदार के ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा जो कि कम से कम रूपये 3000/-(रूपये तीन हजार) होगी तथा ठेका तुरंत प्रभाव से निरस्त भी किया जा सकता है ।

15. कार्यालय के कार्य दिवसों में कैंटीन समयानुसार प्रात: 08:00 बजे से सायं 19:00 बजे तक खुला रहेगा । समिति आवश्यकतानुसार समय में परिवर्तन कर सकती है । पूर्व सूचना देने पर आवश्यकतानुसार अवकाश के दिन, शनिवार, रविवार को भी कैंटीन खोलना होगा ।

16. कैंटीन में लगे हुए सभी सामानों की मरम्मत एवं देख-रेख ठेकेदार को करना होगा । रेलवे द्वारा प्रदत्त सामग्री की मरम्मत की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की होगी।

17. कैंटीन में उपलब्ध रेलवे संपत्ति की प्राप्ति के उपरांत समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा संबंधित रेलवे संपत्ति को कोई नुकसान या चोरी होने पर उसकी कीमत ठेकेदार से वसूल की जाएगी

18. ठेकेदार को कर्मचारियों / आगंतुकों के साथ सभ्य व्यवहार बनाए रखना अपेक्षित है ।

19. ठेकेदार को निष्पक्ष भाव से कैंटीन चलाना होगा और संचालन समिति के द्वारा निर्धारित बिन्दुओं के आधार पर ही कैंटीन का संचालन करना होगा ।

20. कैंटीन से निकला कचरा, कचरा पात्र में डालना ठेकेदार की जिम्मेदारी है ।

21. यदि कैंटीन के खाने-पीने की व्यवस्था में किसी प्रकार की विषैली चीज या नशे वाली चीजें पाई जाती है तो ठेकेदार जिम्मेदार होगा एवं ठेकेदार के विरूद्व यथोचित कार्यवाही की जाएगी एवं ठेका निरस्त भी किया जा सकता हैं ।

22. कैंटीन में कार्यरत कर्मचारी किसी भी संक्रामक बीमारी से ग्रस्त न हो, इसकी डॉक्टर द्वारा डॉक्टरी जांच करवाने के पश्चात जांच रिपोर्ट हर वर्ष ठेकेदार द्वारा कार्यालय में जमा करानी होगी।

23. कैंटीन में कम से कम 02 (दो) कुक व 06 (छ:) वेटर हर समय होना जरूरी है । कैंटीन ठेकेदार के सभी कर्मचारी वयस्क होने चाहिए ।

24. कैंटीन में कार्यरत ठेकेदार के कर्मचारियों को यूनिफार्म, सर्विस ग्लोव्स, सिर पर केप एवं बैज पहनना जरूरी है । कर्मचारियों को पहनने हेतु यूनिफार्म ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराना होगा ।

25. खाद्य वस्तु विक्रय अधिनियम के तहत यदि स्थानीय निकाय / राज्य शासन / रेल प्रशासन द्वारा अधोघोषित नियमों में आवश्यक अनुमति / लाइसेंस ठेकेदार द्वारा स्वयं के खर्च पर प्राप्त करना होगा ।

26. ठेका निरस्त होने की स्थिति में उपलब्ध कराए गए समस्त सामानों को यथावत स्थिति में समिति को वापस करने पर एवं बकाया बिलों का भुगतान करने के उपरांत ही धरोहर राशि वापस की जा सकेगी ।

27. स्टाफ कैंटीन में काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन शासन के नियमानुसार ठेकेदार द्वारा भुगतान करना होगा । किसी भी प्रकार की पेनाल्टी / बकाया राशि का वहन ठेकेदार द्वारा किया जायेगा। जिसके लिये वह स्वयं उत्तरदायी होगा । भुगतान नहीं करने की स्थिति में इसकी भरपाई ठेकेदार द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि से भी की जा सकती हैं ।

28. प्रात: 10:00 बजे एवं दोपहर 15:00 बजे चाय एवं नमकीन / बिस्किट विक्रय हेतु कार्यालय परिसर में कैंटीन कर्मचारी द्वारा प्रतिदिन रेल कर्मचारियों / अधिकारियों को प्रदान की जायेगी। इसके लिए ठेकेदार को कुछ निश्चित जगह मुहैया कराई जायेगी या पुश ट्रॉली प्रदान की जायेगी जिससे वह चाय व नमकीन का विक्रय / आपूर्ति कर सकें ।

29. विशेष अवसर पर छुट्टियों के दिन, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, कार्यालयीन सभा / तृतीय तल स्थित सभा कक्ष में, रेल सप्ताह अवार्ड एवं प्रशासन के द्वारा घोषित किये गये अवकाश के दिन पूर्व सूचना देने पर कैंटीन को खुला रखना होगा तथा खाद्य सामाग्री भी सभास्थल/कार्यस्थल पर उपलब्ध कराना होगा ।

20/7/23
सचिव
द.पू.म.रेलवे क्षेत्रीय कर्मचारी हित निधि (मुख्यालय)एवं
उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (मा.सं.वि.)
वास्ते, क्षेत्रीय कर्मचारी हित निधि(मुख्यालय)
द.पू.म.रेलवे/बिलासपुर